न्यायालयः

विशिष्ट न्यायाधीश, अ.जा./ज.जा. (अ.नि.प्र.) बारां, जिला बारां राज.

पीठासीन अधिकारी

सानुज कुलश्रेष्ठ

(RJS-DJ CADRE)

निर्णय दिनांक: 08-04-2024

प्रकरण संख्याः सेशन प्रकरण सं. 217/2016

सीआईएस नं. 264/2016

CNR No. RJBR050007422016

एफआईआर सं. 336/2016 पुलिस थाना सदर बारां जिला बारां

अपराध अंतर्गत धारा 341,323,324,504,34 भा0 दं0 सं0 व धारा 3(1)(s), 3(2)(va) sc/st Act

---

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्णय B.S.Hari Commdt. v/s Union of India [2023 Live Law (SC) 303; 2023 Supreme(SC) 359] के अनुक्रम में 'विषय सूची-निर्णय' मय पृष्ठ संख्या निम्नानुसार हैः-

S.NO-	Subject	Page/s
1	PART- I	02 to 03
2	PART- II	04 to 05
3	PART- III(Brief of the case, Issues to determine, Finding & reasons of court, conclusion, order)	06 to 18
	Brief of the case	06 to 07
	Issues to determine	07 to 08
	Finding & reasons of court	08 to 15
	conclusion	15 to 17
	Order	17 to 18

PART- I **A**	
परिवादी	राज्य सरकार
प्रतिनिधित्व द्वारा	विशिष्ट लोक अभियोजक
अभियुक्त/अभियुक्तगण	**1-हेमन्त** पुत्र बन्शीलाल, उम्र 20 साल (वर्तमान उम्र 27 साल) निवासी सांकली थाना बारां सदर जिला बारां(राज.) **2-हरिओम उर्फ ओमप्रकाश** पुत्र माधोलाल उम्र 27 साल (वर्तमान उम्र 34 साल) निवासी सांकली थाना बारां सदर जिला बारां(राज.) **3-महेन्द्र** पुत्र शिवपाल उम्र 35 साल (वर्तमान उम्र 42 साल) निवासी सांकली थाना बारां सदर जिला बारां(राज.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	विद्वान अधिवक्ता श्री अरविंद सिंह हाडा

B

अपराध की दिनांक		15-09-2016
एफआईआर की दिनांक		15-09-2016
आरोप पत्र की दिनांक		26-11-2016
आरोप सुनाये जाने की दिनांक		05-09-2018
निर्णय के लिए निर्धारित तिथि		08-04-2024
निर्णय सुनाने की दिनांक		08-04-2024
दण्डादेश (यदि हो तो)	सुनवाई की दिनांक	-

C :अभियुक्त/अभियुक्तगण का विवरणः

अभियुक्त/अभियुक्तगण की श्रेणी	अभियुक्त/अभियुक्तगण का नाम	प्रथम गिरफ्तारी की दिनांक	प्रथम बार जमानत पर बाहर आने की दिनांक	आरोपित अपराध	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दण्डादेश या परीवीक्षा आदेश का विवरण	धारा 428 सी आरपीसी के तहत अभिरक्षा में बितायी अवधि
1-	हेमन्त	21-10-2016	21-10-2016	341,323, 324,504 ,34 भा.द.सं. व धारा 3(1)(s),3(2)(va) Sc/Sc Act	दोषमुक्त	-	1 दिन
2-	हरिओम उर्फ ओमप्रकाश	21-10-2016	21-10-2016	341,323, 324,504 ,34 भा.द.सं. व धारा 3(1)(s),3(2)(va) Sc/Sc Act	दोषमुक्त	-	1 दिन
3-	महेन्द्र	21-10-2016	21-10-2016	341,323, 324,504 ,34 भा.द.सं. व धारा 3(1)(s),3(2)(va) Sc/Sc Act	दोषमुक्त	-	1 दिन

PART- II

साक्षियों की सूचीः अभियोजन साक्षी/बचाव साक्षी/न्यायालय साक्षी

(A) अभियोजन साक्षी

श्रेणी	नाम एवं आयु	साक्षी की प्रकृति (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
PW1	हरजीलाल	COMPLAINT WITNESS, INJURED WITNESS
PW2	जवाहरीलाल	OTHER WITNESS
PW 3	महावीर	EYE WITNESS
PW4	रामचरण	EYE WITNESS
PW5	डॉ० ओमप्रकाश मालव	MEDICAL WITNESS
PW6	रामेश्वर परिहार	POLICE WITNESS
PW7	प्रभुराम	POLICE WITNESS
PW8	आशा	POLICE WITNESS
PW9	बाबूलाल	POLICE WITNESS

(B) बचाव साक्षी

RANK	NAME	साक्षी की प्रकृति (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
–	–	–

(C) न्यायालय साक्षी

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
–	–	–

प्रदर्शित दस्तावेजात की सूचीः अभियोजन प्रदर्श/बचाव प्रदर्श/न्यायालय प्रदर्श

(A) अभियोजन प्रदर्श

क्र. सं.	प्रदर्श संख्या एवं दिनांक मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
1	Ex P1/ 09-07-2019 PW1, PW6,PW8, PW9,	पर्चा बयान
2	Ex P2/ 09-07-2019 PW1, PW2, PW3, PW6	नक्शा मौका
3	Ex P3/09-07-2019 PW1, PW6	जाति प्रमाण पत्र
4	Ex P4/22-03-2022 PW3, PW6	पुलिस बयान 161 द.प्र.सं. महावीर
5	Ex P5/ 22-03-2022 PW4, PW6	पुलिस बयान 161 द.प्र.सं. रामचरण
6	Ex P6/ 13-06-2022 PW5	चोट प्रतिवेदन हरजीलाल
7	Ex P6/ 03-08-2022 PW6, PW7	फर्द गिरफ्तारी हेमंत
8	Ex P7/03-08-2022 PW6, PW7	फर्द गिरफ्तारी हरिओम
9	Ex P8 /03-08-2022 PW6, PW7	फर्द गिरफ्तारी महेन्द्र
10	Ex P9 /31-10-2022 PW8	चार्जशीट
11	Ex P10/31-10-2022 PW8, PW9	चॉक एफआईआर

(B) बचाव प्रदर्श

क्र. सं.	प्रदर्श संख्या एवं दिनांक मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
-	–	–

(C) न्यायालय प्रदर्श:

क्र. सं.	प्रदर्श संख्या एवं दिनांक मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
	NIL	

(D) सारवान वस्तु एवं मालखाना:

क्र. सं.	सारवान वस्तु एवं मालखाना का क्रमांक	वर्णन	मालखाना रजिस्टर के क्रमांक एवं वर्णन
	NIL		

PART- III

(I) BRIEF OF THE CASE:-

(a) संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 15.09.2016 को समय 10.30 पी.एम. पर, राजकीय चिकित्सालय बारां में जैर इलाज भर्ती फरियादी हरजीलाल पुत्र रामगोपाल ने एक पर्चा बयान इस आशय का दिया कि वह ग्राम सांकली का रहने वाला है। उक्त दिनांक को शाम करीब 7-8 बजे की बात है। वह हाथ-मुँह धोने व शौच करने गाँव के तालाब के पास गया तो उनके खेत की ओर से हेमन्त पुत्र बंशीलाल व उसके दो-तीन व्यक्ति बकरियां लेकर गाँव की तरफ आ रहे थे तो फरियादी ने कहा कि तुम हमारे खेत में बकरियां क्यों चराते हों। फिर हेमन्त ने फरियादी के साथ गाली-गलौच की और बकरियां लेकर चला गया। फरियादी वापस घर पर आ रहा था तो रामदेवजी के चबूतरे के पास सामने से हेमन्त, ओमप्रकाश, महेन्द्र अपने हाथों में लकड़ियां लेकर आए। फिर ओमप्रकाश ने फरियादी को आड़े फिरकर रोक लिया तथा हेमन्त ने अपने हाथ की लकड़ी की फरियादी के सिर में मारी, जिससे उसके खून निकल आया। फरियादी नीचे गिर गया। फिर तीनों ने फरियादी के साथ लकड़ियों से मारपीट की। वह चिल्लाया तो वहाँ रामचरण आया, जिसने बीच-बचाव किया। फिर फरियादी के काकाजी का लड़का महावीर भी आ गया था, जो उसे उठाकर घर पर लेकर आया। फिर उसका भाई जवाहरीलाल व भतीजा प्रेमचंद उसे कार से बारां अस्पताल लेकर आ गए। जहाँ पर उसे भर्ती कराया। आगे फरियादी ने बताया कि इन तीनों व्यक्तियों ने उसे भीलड़ा की गाली-गलौच कर मारपीट की..........इत्यादि।

(b) उक्त पर्चा बयान के आधार पर थानाधिकारी पुलिस थाना बारां सदर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 336/2016 अंतर्गत धारा 341,323,504,34 भा.दं.सं. व धारा 3(1)(s), 3(2)(va) अ.जा./ज.जा. (अ.नि.) अधिनियम, 1989 में मामला पंजीबद्व कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

(c) बाद आवश्यक अनुसंधान दिनांक 26.11.2016 को अभियुक्तगण हेमन्त, हरिओम उर्फ ओमप्रकाश, महेन्द्र के विरूद्ध अंतर्गत धारा 341, 323, 324, 504 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. व धारा 3(1)(s), 3(2)(va) अ.जा./ज.जा. (अ.नि.) अधिनियम, 1989 का आरोप प्रमाणित पाये जाने से आरोप पत्र इस न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जिस पर उक्तानुसार उक्त धाराओं में प्रंसज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किए जाने के आदेश दिए गए।

(d) बहस चार्ज सुनी गई तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अंतर्गत धारा 341, 323, 324, 504 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. व

धारा 3(1)(s), 3(2)(va) अ.जा./ज.जा. (अ.नि.) अधिनियम, 1989 के आरोप विरचित करने के आधार होने के कारण पृथक से उक्त धाराओं में आरोप विरचित कर अभियुक्तगण को सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्तगण द्वारा आरोप सुन व समझकर अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही। अभियुक्तगण को अंतर्गत धारा 313 दं0 प्र0 सं0 के तहत परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताया और झूंठा फंसाना कथन किया और अभियुक्तगण ने साक्ष्य सफाई पेश नहीं की।

(e) बहस अंतिम उभय पक्षकारान सुनी गई।

(f) दौराने बहस विद्वान विशिष्ठ लोक अभियोजक का कथन रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्व आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किए जाने का निवेदन किया।

(g) इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का कथन रहा है कि सभी गवाहान के कथनों से अभियोजन कहानी की पुष्टि नहीं होती है। महत्वपूर्ण गवाहान पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्व आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों से दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

(h) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश क्रमांक 32/S.O./2023 दिनांक 15.09.2023 की अनुपालना में फरियादी को बयान मुल्जिम की स्टेज पर सुनवाई हेतु जर्ये नोटिस दिनांक 09.10.2023 सूचित किया गया।

(II) **ISSUES TO DETERMINE**:-

(i) उभय पक्ष की बहस पर गौर किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

अब न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से विचारणीय बिन्दु यह रहे हैं कि:-

(1) क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 15.09.2016 को समय सायं के 7-8 बजे के लगभग बमुकाम रामदेवजी के चबूतरे के पास सांकली पुलिस थाना बारां सदर जिला बारां में सबके सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादी/ मजरूब हरजीलाल को रोककर उसका सदोष अवरोध कारित कर, कुंदालय लकड़ियों व धारदार हथियार से मारपीट कर उसे स्वेच्छया साधारण उपहतियॉ कारित की और लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से गाली-गलौच कर उसे अपमानित किया?

(2) उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने परिवादी/मजरूब हरजीलाल, जो कि अनुसूचित जनजाति का सदस्य था, यह जानते हुए उसका सदोष अवरोध कारित किया, कुंद व धारदार हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहतियाँ कारित की और लोक दृष्टि में आने वाले स्थान पर गाली-गलौच कर जातिसूचक शब्दों से अपमानित और अभित्रस्त किया?

(3) यदि हां तो उसका उचित दंडादेश क्या होगा?

(ii) इस प्रकरण में मुख्य अपराध धारा 324 भारतीय दण्ड संहिता का है, जहाँ तक संबंध आरोपित अपराध धारा 324 भारतीय दण्ड संहिता का है, तो इस अपराध के संदर्भ में आवश्यक अवयव साआशय साधारण उपहति का किसी घातक/धारदार हथियार से कारित होना, प्रकट होता है। अर्थात् 'आशय' का अवयव साधारण उपहति एवं घातक हथियार से साधारण उपहति कारित करने के अपराध के संदर्भ में साबित होना परमावश्यक होता है।

(III) **FINDINGS & REASONS OF COURT** :-

(1) प्रकरण में आरोपित अपराध के संबंध में सर्वप्रथम न्यायालय को यह देखना है कि आरोपित अपराध को साबित करने का प्राथमिक दायित्व, चूंकि अभियोजन का होता है। अतः अभियोजन की तरफ से इस प्रकरण में किन आधारों पर आरोपित अपराध के अवयवों को प्रमाणित होना बताया गया है ? इसी के साथ न्यायालय को यह भी विवेचित करना है कि बचाव पक्ष द्वारा किन आधारों पर अभियोजन की कहानी में युक्तियुक्त सन्देह उत्पन्न होना बताया गया है, क्योंकि इस प्रकरण में बचाव पक्ष द्वारा अपने बचाव में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, ना ही उन्होंने भारतीय दण्ड संहिता में वर्णित किसी अपवाद के सहारे अपने बचाव को साबित करने का प्रयास किया है। बचाव पक्ष का इस प्रकरण में आधार अपराध के अवयवों को **'Disprove'** करना नहीं होकर केवल अभियोजनपक्ष द्वारा वर्णित अभियोगात्मक अवयवों को संदेहास्पद प्रकट कर **'Not Proved'** प्रकट करने तक सीमित है।

अतः न्यायालय को इस प्रकरण में यह देखना है कि अभियोजन द्वारा अपनी अभियोगात्मक साक्ष्य के माध्यम से आरोपित अपराध के अवयवों को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया है अथवा नहीं? इस सम्बंध में माननीय सर्वोच्च न्याायलय का न्याय निर्णय **Karan Singh Vs State of U.P**. [(2022) 6 **SCC** 52] निम्न शब्दों में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करता है:-

''The Prosecution is required to prove its case beyond reasonable doubt; and not beyond all iota of doubt."

(2) हस्तगत प्रकरण में मुख्य अपराध धारा 324 भारतीय दण्ड संहिता का है। उपरोक्त वर्णित अपराध के आवश्यक तथ्यात्मक अवयवों को सर्वप्रथम अभियोजन द्वारा प्रत्यक्ष एवं चक्षुदर्शी साक्ष्य से साबित करने का प्रयास इस प्रकरण में रहा है, अतः प्राथमिक रूप से अभियोजन के आधारों का विवेचन युक्तिसंगत होकर, निम्नानुसार हैः-

(A) <u>CASE OF PROSECUTION:</u>-

(i) <u>अभियोजन के घटनाक्रम का वृतान्त</u>:-

(a) हस्तगत प्रकरण में अभियोग का आधार दिनांक 15.09.2016 को समय 10.30 पी.एम. पर, राजकीय चिकित्सालय बारां में जैर इलाज भर्ती फरियादी हरजीलाल पुत्र रामगोपाल द्वारा प्रस्तुत पर्चा बयान प्रदर्श पी.1 है, जिसके मुताबिक घटनाक्रम का मुख्य वृतांत निम्नानुसार हैंः-

> '' फरियादी ग्राम सांकली का रहने वाला है। उक्त दिनांक को शाम करीब 7-8 बजे की बात है। वह हाथ-मुँह धोने व शौच करने गाँव के तालाब के पास गया तो उनके खेत की ओर से हेमन्त पुत्र बंशीलाल व उसके दो-तीन व्यक्ति बकरियां लेकर गाँव की तरफ आ रहे थे तो फरियादी ने कहा कि तुम हमारे खेत में बकरियां क्यों चराते हों। फिर हेमन्त ने फरियादी के साथ गाली-गलौच की और बकरियां लेकर चला गया। फरियादी वापस घर पर आ रहा था तो रामदेवजी के चबूतरे के पास सामने से हेमन्त, ओमप्रकाश, महेन्द्र अपने हाथों में लकड़ियां लेकर आए। फिर ओमप्रकाश ने फरियादी को आड़े फिरकर रोक लिया तथा हेमन्त ने अपने हाथ की लकड़ी की फरियादी के सिर में मारी, जिससे उसके खून निकल आया। फरियादी नीचे गिर गया। फिर तीनों ने फरियादी के साथ लकड़ियों से मारपीट की। वह चिल्लाया तो वहाँ रामचरण आया, जिसने बीच-बचाव किया। फिर फरियादी के काकाजी का लड़का महावीर भी आ गया था, जो उसे उठाकर घर पर लेकर आया। फिर उसका भाई जवाहरीलाल व भतीजा प्रेमचंद उसे कार से बारां अस्पताल लेकर आ गए। जहाँ पर उसे भर्ती कराया। आगे फरियादी ने बताया कि इन तीनों व्यक्तियों ने उसे भीलड़ा की गाली-गलौच कर मारपीट की..........इत्यादि।''

(b) उक्त पर्चा बयान प्रदर्श पी.1 की पुश्त पर दिनांक 15.09.2016 को समय 10.45 पी.एम. पर अंकित कार्यवाही पुलिस में मजरूब की चोटों का वर्णन किया गया है, जिसमें मजरूब के एक चोट सिर के बीच में खून आलूदा, एक चोट दांहिने पैर की जांघ

पर सूजननुमा, एक चोट कमर के ऊपर दांहिनी तरफ सूजननुमा तथा पीठ में दर्द होना बताया है।

(c) सर्वप्रथम फरियादी/आहत द्वारा प्रस्तुत पर्चा बयान के आधार पर देखा जाए तो इस प्रकरण में स्वयं फरियादी/आहत हरजीलाल, चक्षुदर्शी साक्षीगण रामचरण, महावीर, फरियादी का भाई जवाहरीलाल और फरियादी का भतीजा प्रेमचंद की साक्ष्य, चिकित्सीय व अनुसंधान की साक्ष्य महत्वपूर्ण हो जाती है, जिनका विवेचन आगे किया जाएगा।

(ii) फरियादी/आहत और चक्षुदर्शी साक्षीगण की साक्ष्य का विवेचन–

(a) इस प्रकरण में फरियादी **हरजीलाल PW–01** के रूप में न्यायालय में परीक्षित हुआ है, जो अपनी मुख्य परीक्षा में कहता है कि वह तालाब के पास हाथ–मुँह धोने गया था, वहाँ पर हेमन्त बकरिया लेकर आ रहा था। फरियादी ने हेमन्त से कहा कि बकरियों का खेत में मत चराओ, फसल को खराब मत करो, तो हेमन्त उसके साथ गाली–गलौच करके चला गया। आगे गवाह कहता है कि फिर अभियुक्तगण लकड़िया लेकर आए और हेमन्त ने उसके सिर पर लकड़ी की मारी, जिससे उसके खून निकलना गवाह बताता है। आगे गवाह अभियुक्तगण हरिओम और महेन्द्र द्वारा भी मारपीट करना बताता है और स्वयं के सिर, कंधे, पीठ व 4–5 जगह चोटें आना भी गवाह कहता है। आगे गवाह यह भी स्पष्ट रूप से बताता है कि उसका रामचरण ने बीच–बचाव कराया था। जिरह में यह गवाह इस तथ्य को सही होना स्वीकारता है कि मेरा इन मुल्जिमान से इस घटना से पहले से ही विवाद चल रहा था। आगे गवाह यह भी स्पष्ट रूप से कहता है कि मेरे साथ खेत पर मारपीट नहीं हुई, गाली–गलौच हुई थी। गवाह बताता है कि लड़ाई–झगड़ा रामदेवजी के चबूतरे के पास हुआ था। यह गवाह इस तथ्य को भी सही होना स्वीकारता है कि महेन्द्र और हरिओम ने उसके साथ गाली–गलौच नहीं की।

(b) चक्षुदर्शी साक्षीगण के रूप में देखा जाए तो फरियादी/आहत हरजीलाल ने अपने पर्चा बयान प्रदर्श पी.1 और न्यायालय में PW–01 के रूप में हुए बयानों में रामचरण द्वारा बीच बचाव करना बताया है। इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो गवाह **रामचरण** PW–04 के रूप में न्यायालय में परीक्षित हुआ है, जो पूर्णतः पक्षद्रोही घोषित हुआ है और घटना की लेशमात्र भी ताईद नहीं करता है और यह स्पष्ट रूप से बताता है कि घटना कब की है, मुझे पता नहीं है, मैंने कोई मारपीट होते हुए नहीं देखी। दूसरा चक्षुदर्शी गवाह **महावीर** जो फरियादी/आहत हरजीलाल के काकाजी का लड़का है, वह न्यायालय में PW–03 के रूप में परीक्षित हुआ है, जो अपनी मुख्य परीक्षा में नक्शा मौका प्रदर्श पी.2 पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताता है, लेकिन स्पष्ट रूप से यह कहता है कि उसने कोई मारपीट नहीं देखी। यह गवाह भी पक्षद्रोही

घोषित हुआ है और विद्वान विशिष्ठ लोक अभियोजक की जिरह में पूछे जाने पर इस तथ्य से स्पष्ट रूप से इंकार करता है कि वह मौके पर उपस्थित हो। इसी के साथ यदि इस गवाह से अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह को देखा जाए तो यह गवाह इस तथ्य को सही होना बताता है कि मैंने पुलिस को कोई बयान नहीं दिए और ना ही मुझे घटना के बारे में कोई जानकारी है।

(c) इस प्रकार उक्त समस्त महत्वपूर्ण गवाहान (फरियादी/आहत और चक्षुदर्शी गवाहान) की मौखिक साक्ष्य पत्रावली पर आई है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक नवीनतम न्याय निर्णय ''**Balu Sudam Khalde vs The State Of Maharashtra,** [2023 **SCC Online SC** 355]'' आहत/चक्षुदर्शी साक्षी की साक्ष्य के विवेचन के संदर्भ में निम्न शब्दों में न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित करता हैः-

(a) The presence of an injured eye-witness at the time and place of the occurrence cannot be doubted unless there are material contradictions in his deposition.

(b) Unless, it is otherwise established by the evidence, it must be believed that an injured witness would not allow the real culprits to escape and falsely implicate the accused.

(c) The evidence of injured witness has greater evidentiary value and unless compelling reasons exist, their statements are not to be discarded lightly.

(d) The evidence of injured witness cannot be doubted on account of some embellishment in natural conduct or minor contradictions.

(e) If there be any exaggeration or immaterial embellishments in the evidence of an injured witness, then such contradiction, exaggeration or embellishment should be discarded from the evidence of injured, but not the whole evidence.

(f) The broad substratum of the prosecution version must be taken into consideration and discrepancies which normally creep due to loss of memory with passage of time should be discarded.

उक्त न्यायनिर्णय के आलोक में देखा जाए तो इस प्रकरण में फरियादी/आहत PW-1 हरजीलाल अभियुक्तगण द्वारा लकड़ियों से मारपीट करना, रामचरण द्वारा उसका बीच-बचाव करना और गाली-गलौच करना तो बताता है, लेकिन यह गवाह जातिसूचक शब्दों से गाली-गलौच करने के संबंध में कोई कथन नहीं करता है और यह भी स्पष्ट नहीं करता कि उसे किन शब्दों/जातिसूचक शब्दों से गाली-गलौच की गई अथवा किन शब्दों का इस्तेमाल

करते हुए उसे अपमानित किया गया। यह गवाह अपनी जिरह में इस तथ्य को सही होना स्वीकारता है कि उसका मुल्जिमानों से इस घटना से पहले से ही विवाद चल रहा था। आगे गवाह यह भी स्पष्ट करता है कि उसके साथ खेत पर मारपीट नहीं हुई, गाली-गलौच हुई थी, लेकिन क्या गाली-गलौच हुई, इस बारे में यह गवाह मौन है। फिर यह गवाह लड़ाई-झगड़ा रामदेवजी के चबूतरे के पास होना कहता है। इसके न्यायालय में हुए उक्त कथनों को उसके पर्चा बयान प्रदर्श पी.1 के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इस गवाह ने अपने पर्चा बयान प्रदर्श पी.1 में यह स्पष्ट रूप से बताया है कि ओमप्रकाश ने उसे आड़े फिरकर रोक लिया, लेकिन ऐसा कोई कथन स्वयं के न्यायालय में हुए बयानों में यह गवाह नहीं करता है। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो इस गवाह ने स्वयं के पर्चा बयान प्रदर्श पी.1 में मारपीट से स्वयं के चिल्लाने पर रामचरण के अलावा स्वयं के काकाजी का लड़का महावीर के आने का भी कथन किया है और यह भी बताया है कि फिर उसके भाई जवाहरीलाल और भतीजा प्रेमचंद उसे अस्पताल ले गए। लेकिन इस प्रकार के किसी भी तथ्य का वर्णन PW-1 फरियादी/आहत हरजीलाल अपने न्यायालय बयानों में नहीं बताता है। इस प्रकार देखा जाए तो इस गवाह की साक्ष्य पूर्णतः विश्वसनीय नहीं कही जा सकती और पूर्णतः अविश्वसनीय साक्ष्य के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायनिर्णय '**Rajesh Yadav vs. The State of U.P.** [2022 **LiveLaw** (**SC**) **137**]' निम्न शब्दों में आवश्यक न्यायिक आलम्बन प्रदान करता हैः-

"While appreciating the evidence as aforesaid along with the matters attached to it, evidence can be divided into three categories broadly namely, (i) wholly reliable, (ii) wholly unreliable and (iii) neither wholly reliable nor wholly unreliable. If evidence, along with matters surrounding it, makes the court believe it is wholly reliable qua an issue, it can decide its existence on a degree of probability. Similar is the case where evidence is not believable. When evidence produced is neither wholly reliable nor wholly unreliable, it might require corroboration, and in such a case, court can also take note of the contradictions available in other matters."

स्पष्टतः उक्त न्यायनिर्णय के आलोक में फरियादी/आहत हरजीलाल की साक्ष्य न तो पूर्णतः विश्वसनीय कही जा सकती है और न ही पूर्णतः अविश्वसनीय कही जा सकती है; अर्थात ऐसी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा मारपीट अथवा गाली-गलौच किए जाने के तथ्य को प्रकट या साबित नहीं माना जा सकता, जब तक कि ऐसी

साक्ष्य से प्रकट दोषसिद्धिकारक तथ्यों का अन्य साक्ष्य द्वारा पत्रावली पर सम्पुष्टिकरण न हो जाए।

(d) इसी के साथ यदि घटनाक्रम के चक्षुदर्शी गवाहान की साक्ष्य को देखा जाए तो इस प्रकरण में महत्वपूर्ण चक्षुदर्शी गवाह रामचरण, जिसे फरियादी/आहत हरजीलाल द्वारा स्वयं का बीच-बचाव करने वाला बताया गया है, वह PW-04 रामचरण पूर्णतः पक्षद्रोही घोषित हुआ है और स्पष्ट रूप से कहता है कि मैंने कोई मारपीट होते हुए नहीं देखी। दूसरा चक्षुदर्शी गवाह PW-03 महावीर जो फरियादी/आहत हरजीलाल के काकाजी का लड़का है, पक्षद्रोही होकर स्पष्ट रूप से यह कहता है कि उसने कोई मारपीट नहीं देखी। विद्वान विशिष्ठ लोक अभियोजक की जिरह में अपनी मौके पर उपस्थिति के संदर्भ में स्पष्ट रूप से इंकार करता है। यहाँ तक कि अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में भी कहता है कि मैंने पुलिस को कोई बयान नहीं दिए और ना ही मुझे घटना के बारे में कोई जानकारी है।

(e) उपरोक्तानुसार साक्ष्य की विवेचना से स्वयं फरियादी/आहत की साक्ष्य पूर्णतः विश्वसनीय नहीं है और न ही घटनाक्रम के संदर्भ में किसी भी चक्षुदर्शी साक्षी ने घटना की ताईद की है और न ही यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण द्वारा किस प्रकार और किन शब्दों द्वारा गाली-गलौच कर अपमानित करने का कृत्य कारित किया गया है; और ना ही यह विशिष्ट रूप से प्रकट होता है कि किन शब्दों से या किस प्रकार से फरियादी को जाति विशेष से संदर्भित कर प्रताड़ित या अपमानित किया गया है और जब तक ऐसा कृत्य साबित न हो, तब तक वह धारा-3 अ.जा./ज.जा. (अ.नि.) अधिनियम, 1989 के तहत आपराधिक कृत्य की परिभाषा में नहीं आता है, ऐसा इस न्यायालय का सुविचारित मत है। इस न्यायालय के उक्त मत को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायनिर्णय **Hitesh Verma v/s State of Uttarakhand**, [2020 **SCC Online SC** 907] निम्न शब्दों में न्यायिक आलम्बन प्रदान करता हैः-

"Therefore, offence under the Act is not established merely on the fact that the informant is a member of Scheduled Caste unless there is an intention to humiliate a member of Scheduled Caste or Scheduled Tribe for the reason that the victim belongs to such caste...."

(iii) चिकित्सीय साक्ष्य का विवेचन:-

(a) इस प्रकरण में चिकित्साधिकारी PW-5 ओमप्रकाश मालव परीक्षित हुआ है, जिसके द्वारा फरियादी/आहत हरजीलाल का मेडिकल मुआयना किया गया था, जो उसके शरीर पर कुल पाँच चोटें जिनमें दो कटे हुए घाव सिर के बीच में, नीलगू निशान पीठ पर दांहिनी

तरफ, नीलगू निशान दांहिने कन्धे पर, नीलगू निशान दांहिने पैर की जांघ पर तथा खरोंच दांहिने क्लेवीकूलर एरिया पर होना बताया है। जिनमें से चोट नम्बर-1 जो सिर पर आना बताई है, वह धारदार हथियार से आना तथा शेष सभी चोटें कुंद हथियार से कारित साधारण प्रकृति की आना बताई है। धारदार हथियार से कारित चोट नम्बर-1 के संबंध में इस गवाह ने अपनी जिरह में यह स्वीकारा है कि चोट नम्बर-1 लकड़ी से नहीं आ सकती और आगे यह गवाह स्पष्ट करते हुए बताता है कि धारदार हथियार से मतलब ऐसा हथियार जिससे घाव के मार्जिन्स रेगुलर एंड क्लीन कट आते हों। इसके अलावा सभी चोटें जिरह में पूछे जाने पर गिरने-पड़ने से आने की संभावना से इंकार नहीं किया है। इसके अलावा यह गवाह जिरह में पूछे जाने पर इस तथ्य को भी सही होना स्वीकारता है कि यदि कोई ट्रेक्टर में निकली हुई लोहे की धारदार पत्ती से सिर के बल टकरा जाए तो चोट नम्बर-1 के आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

(b) इस प्रकार यदि देखा जाए तो फरियादी/आहत PW-1 हरजीलाल अपनी मुख्य परीक्षा में और स्वयं द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 में, स्वयं के साथ लकड़ियों से मारपीट करने का कथन करता है और किसी धारदार हथियार से मारपीट किए जाने का कथन नहीं करता है, जबकि चिकित्सीय साक्ष्य के मुताबिक फरियादी/आहत हरजीलाल के आई चोट नम्बर-1 के संबंध में उक्त चिकित्सीय गवाह PW-5 ओमप्रकाश मालव चिकित्साधिकारी स्पष्ट रूप से कहता है कि चोट नम्बर-1 लकड़ी से नहीं आ सकती, बल्कि यह गवाह उक्त चोट धारदार हथियार से आने का कथन करता है। सीधे व स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो यह मामला इस कोटि का है कि जहाँ चिकित्सीय साक्ष्य पूर्ण रूप से मौखिक व चक्षुदर्शी साक्ष्य को अविश्वसनीय बनाती है। इस प्रकार की साक्ष्य के विरोधाभास (**Medical** & **Ocular Evidence**) के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायनिर्णय '**Pruthviraj J. Vanol v/s Dinesh Dayabhai Vala** [2021 **SCC Online SC** 493]' यह प्रतिपादित करता है किः-

"it is only in a case where there is a gross contradiction between medical evidence and oral evidence, and the medical evidence makes the ocular testimony improbable and rules out all possibility of ocular evidence being true, the ocular evidence may be disbelieved."

(c) इस प्रकार चिकित्सीय साक्ष्य से भी आहत की साक्ष्य का सम्पुष्टिकरण नहीं होता है। यहाँ यह मामला स्पष्ट रूप से मौखिक और चक्षुदर्शी साक्ष्य के विभेद का है। ऐसा विभेद जो यह स्पष्ट करता है कि यदि आहत के सिर पर एक चोट लकड़ी से आई है(आहत की मौखिक साक्ष्य के मुताबिक) तो वह चोट चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.6 और चिकित्सीय राय के मुताबिक इनसाईज्ड वून्ड के रूप में नहीं हो सकती और इस संबंध में चिकित्सीय राय का

अपना महत्व है, जो न्यायालय में यह स्पष्ट करता है कि उक्त चोट लकड़ी/लाठी जैसे हथियार से नहीं आ सकती। ऐसी स्थिति में यह मामला स्पष्ट रूप से इस प्रकृति का है कि जहाँ पर चिकित्सीय राय के आधार पर मौखिक साक्ष्य पर अविश्वास का बादल छाता प्रकट होता है। यह अविश्वास का बादल तब अधिक गहन हो जाता है, जब फरियादी/आहत की मौखिक साक्ष्य की पुष्टि अन्य किसी भी गवाह की मौखिक साक्ष्य से पत्रावली पर नहीं होती है।

(iv) <u>अनुसंधान की साक्ष्य का विवेचन</u>:-

(a) इस प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी रामेश्वर परिहार न्यायालय में PW-6 के रूप में परीक्षित हुआ है, जो अपनी मुख्य परीक्षा में स्वयं के द्वारा किए गए अनुसंधान की ताईद करता है और जिरह में यह तथ्य स्वीकारता है कि प्रदर्श पी.1 (पर्चा बयान) में जातिसूचक गालियाँ देना, फरियादी ने अंकित नहीं किया है। इसके अतिरिक्त यह गवाह यह भी सही होना स्वीकारता है कि नक्शा मौका निरीक्षण के समय अपराध संबंधी कोई भौतिक साक्ष्य उसे प्राप्त नहीं हुई। इसके अतिरिक्त गवाह PW-7 प्रभूराम तत्कालीन कानिस्टेबल, एससी/एसटी सेल बारां है, जो फर्द गिरफ्तारी मुल्जिमान का गवाह है। यह गवाह जिरह में कहता है कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी बारां एससी/एसटी सेल में हुई थी। आगे यह भी स्पष्ट करता है कि मुल्जिमान स्वयं आ गए थे और उन्होंने भागने या फरार होने की कोई कोशिश नहीं की। इसके अलावा गवाह PW-9 बाबूलाल तत्कालीन एस.आई पुलिस थाना सदर बारां है, जो लालचंद हेड कानिस्टेबल द्वारा मजरूब हरजीलाल का पर्चा बयान राजकीय चिकित्सालय, बारां से लाकर स्वयं के सामने पेश करना और उस पर मुकदमा दर्ज करना आदि तथ्य बताता है। इसके अतिरिक्त गवाह PW-8 आशा, जो तत्कालीन प्रोबेशनर इंचार्ज थाना बारां सदर है, जो मात्र चार्जशीट न्यायालय में पेश करना कहती है।

(b) अतः सूक्ष्मता से देखने पर यह स्पष्ट प्रकट है कि इस प्रकरण में अनुसंधान और चिकित्सीय साक्ष्य से भी, अभियोजन वृतांत/घटनाक्रम घटित होने के संदर्भ में, संपुष्टिकरण का अभाव है।

(VI) <u>CONCLUSION</u> :-

(a) उपरोक्त समग्र विवेचन के आधार पर इस पत्रावली पर अभियोजन के मार्फत निम्न तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रकट होते हैंः-

(1) हस्तगत प्रकरण में फरियादी/आहत हरजीलाल की साक्ष्य से घटनाक्रम के तथ्यों की पुष्टि नहीं होती है और उसके द्वारा प्रस्तुत पर्चा बयान प्रदर्श पी.1 और न्यायालय में PW-1 के रूप में हुए बयानों में विरोधाभास है। उसकी साक्ष्य <u>पूर्णतः विश्वसनीय</u> साबित

नहीं हो पाई है। इसके अतिरिक्त फरियादी/आहत के द्वारा जिन चक्षुदर्शी गवाहान को मौका स्थल पर होना बताया गया है या बीच बचाव करना बताया गया है, वे गवाहान घटनाक्रम के संबंध में कोई कथन नहीं करते हैं और पूर्णतः पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। इनमें से किसी भी गवाह की साक्ष्य इस कोटि की नहीं है कि अभियुक्तगण को दोषसिद्ध करार दिया जा सकें।

(2) इसके अलावा उपरोक्तानुसार की गई साक्ष्य की विवेचना से न तो यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण द्वारा किस प्रकार और किन शब्दों द्वारा गाली-गलौच कर अपमानित करने का कृत्य कारित किया गया है; और ना ही यह विशिष्ट रूप से प्रकट होता है कि किन शब्दों से या किस प्रकार से परिवादी को जाति विशेष से संदर्भित कर प्रताड़ित या अपमानित किया गया है। [**Ref**: **Hitesh Verma v/s State of Uttarakhand**,(**ibid**)]'

(3) अनुसंधान अधिकारी जिरह में यह स्वीकार करता है कि प्रदर्श पी.1 (पर्चा बयान) में जातिसूचक गालियाँ देना, फरियादी ने अंकित नहीं किया है। इसके अतिरिक्त यह गवाह यह भी स्वीकारता है कि नक्शा मौका निरीक्षण के समय अपराध संबंधी कोई भौतिक साक्ष्य उसे प्राप्त नहीं हुई।

(4) चिकित्सीय साक्ष्य से भी फरियादी/आहत की साक्ष्य का सम्पुष्टिकरण नहीं होता है। फरियादी की मौखिक साक्ष्य का, चिकित्सीय साक्ष्य से गंभीर व प्रत्यक्ष विभेद भी पत्रावली पर परिलक्षित होता है, जैसा कि ऊपर की गई विवेचना से स्पष्ट है। [**Ref**: '**Pruthviraj J. Vanol v/s Dinesh Dayabhai Vala**(**ibid**)]'

(5) साक्ष्य के मूल्यांकन में और उनके विवेचन में महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि अभियोजन को अपनी साक्ष्य युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करनी होती है। अर्थात संदेहास्पद साक्ष्य के आधार पर तथ्यों को साबित नहीं माना जा सकता और न ही ऐसे संदेहास्पद तथ्यों के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायनिर्णय "**Rajbir Singh v/s State of Punjab**,[2022 **Supreme** (**SC**) **849**]" आवश्यक न्यायिक आलम्बन प्रदान करता है।

(b) उपरोक्त अनुसार पत्रावली पर आई साक्ष्य के अनुशीलन से यह स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में अभियोजन अपनी अभियोगात्मक साक्ष्य से आरोपित अपराध के तथ्यात्मक अवयवों को संदेह से परे प्रमाणित नहीं कर पाया है। अतः धारा 341, 323, 324, 504 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के आवश्यक अवयव, न्यायालय के समाधानपरक युक्तियुक्त संदेह से परे साबित कर पाने में अभियोजन असफल रहा है। साथ ही न्यायालय का यह स्पष्ट मत है कि जहां प्रकरण में मूल एवं प्राथमिक अपराध ही संदेह से परे प्रमाणित नहीं माना गया हो, वहां अनुषांगिक या द्वितियक प्रकृति का धारा-3 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति(अत्याचार-निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत आरोपित

अपराध धारा 3(1)(s), 3(2)(va) अ.जा./ज.जा.(अ.नि.) अधिनियम, 1989 भी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं माना जा सकता।

(c) अतः अभियुक्तगण **हेमन्त, हरिओम उर्फ ओमप्रकाश, महेन्द्र** को अंतर्गत धारा 341, 323, 324, 504 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता और धारा 3(1)(s), 3(2)(va) अ.जा./ज.जा.(अ.नि.) अधिनियम, 1989 के आरोप से युक्तियुक्त संदेह से परे अभियोज्य साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिये जाने के आधार पर दोषमुक्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:: **ORDER** ::–

अतः अभियुक्तगण क्रमांक **1–हेमन्त** पुत्र बन्शीलाल, उम्र 20 साल (वर्तमान उम्र 27 साल) निवासी सांकली थाना बारां सदर जिला बारां(राज.), **2–हरिओम उर्फ ओमप्रकाश** पुत्र माधोलाल उम्र 27 साल (वर्तमान उम्र 34 साल) निवासी सांकली थाना बारां सदर जिला बारां(राज.) और **3–महेन्द्र** पुत्र शिवपाल उम्र 35 साल (वर्तमान उम्र 42 साल) निवासी सांकली थाना बारां सदर जिला बारां(राज.) को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 324, 504 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता और धारा 3(1)(s), 3(2)(va) अ.जा./ज.जा.(अ.नि.) अधिनियम, 1989 के आरोपों से युक्तियुक्त संदेह से परे अभियोज्य साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिये जाने के आधार पर दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण के उपस्थिति बाबत् पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके अविलम्ब निरस्त करने के आदेश दिये जाते है। उक्त प्रकरण में चूंकि अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध साबित नहीं हुआ है, अतः हस्तगत प्रकरण में परिवादी पक्ष को धारा 357 ए दं0 प्र 0 सं0 के तहत किसी प्रकार का पीड़ित प्रतिकर राशि दिलवाये जाने की अनुशंसा नहीं की जाती है।

इस प्रकरण में जब्तशुदा माल यदि कोई हो तो बाद गुजरने मियाद अपील, अपील न होने की सूरत में विधि अनुसार नष्ट किया जावें। पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है।

(सानुज कुलश्रेष्ठ)
विशिष्ठ न्यायाधीश,
अ.जा./ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण बारां
जिला बारां (राज0)

निर्णय आज दिनांक 08.04.2024 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा लिखाया जाकर उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(सानुज कुलश्रेष्ठ)
विशिष्ठ न्यायाधीश,
अ.जा./ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण बारां
जिला बारां (राज0)